Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 447/2026, Azamnagar P.S. Case No.- 39/2026

Munna @ Narsingh Sharma VS. State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A. B.P.No. 447/2026
Azamnagar P.S. Case No.- 39/2026

1. मुन्ना/नरसिंह शर्मा पिता भोला शर्मा, उ0त0 34 वर्ष,
निवासी सा0 ग्रामः– पुराना मरिया, थाना– आजमनगर,
जिला– कटिहार।...आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार।...अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री....................................सत्येन्द्र कुमार सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 13-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 27.02.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस सूचक सुखदेव मंडल द्वारा थानाध्यक्ष आजमनगर को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया गया है कि 27.01.2026 को समय करीब 10:30 बजे सुबह मेरा बेटा पंकज मंडल अपने घर से अपना खेत जा रहा था। इसी दौरान प्रहलाद शर्मा, मुन्ना उर्फ नरसिंह शर्मा, रीता देवी ने मेरे बेटा को घेर लिया और लाठी, डंडा, बांस से मेरे बेटा को जान से मारने के नियत से सिर पर प्रहार करने लगे, जिससे मेरे बेटा का सिर फट गया और मेरा बेटा खून से लहु–लुहान हो गया। उक्त सभी ने मेरा बेटा के बांया हाथ के अंगुली को भी जख्म कर दिया। हमलोगों को गांव के लोगों से सूचना मिली कि मेरा बेटा को उक्त सभी ने मारकर बेहोश कर दिया। हमलोग उक्त जगह में जाकर अपने बेटा को उठाया और बेटा का ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आजमनगर लेकर आये। मेरा बेटा को बेहतर ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सदर अस्पताल, कटिहार रेफर कर दिया। उक्त सभी ने मेरे बेटा पंकज मंडल को जान से मारने की धमकी दिया है।
3. जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे पूर्व दुश्मनी के वजह से झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक कोई अपराध नहीं किया है तथा निर्दोष है। जख्म प्रतिवेदन के अनुसार जख्मी के शरीर पर चार जख्म साधारण प्रकृति की है तथा उससे जीवन को कोई खतरा नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि पीड़ित पंकज मंडल एक शराबी किश्म का व्यक्ति है तथा कथित तिथि व समय पर आवेदक के घर पर शराब पीकर आया और आवेदक के मॉ रीता देवी एवं उसके परिवार के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट किया। पुरानी ग्रामीण दुश्मनी के कारण दुराशयपूर्ण ढंग से आवेदक के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन

Web copy of court Katihar

करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक, कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप लगाया गया है। अतः वह जमानत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सुखदेव मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं सह अभियुक्त के विरूद्ध आजमनगर थाना कांड संख्या– 39/2026 दिनांक 27.01.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 127, 115(2), 109, 351(2), 3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 2, 3, 4, 5 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–30 एवं 43 में आवेदक के विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं पाया गया है। कंडिका 44 से विदित है कि जख्मी पंकज मंडल के शरीर पर कुल चार जख्म **(1) Abrasion & lacerated wound on Lt. Side of head 4" X 1/2", 2. Abrasion & lacerated wound on Rt. Side of head 3" X 1/6", 3. Abrasion on Left index finger 1/2" , 4. Abrasion & lacerated wound on Left side of head 2" X 1/2"** पाया गया है। चिकित्सक की राय में जख्म साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुन्द पदार्थ से कारित किया गया है। इस प्रकार आवेदक पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक के बेटा पर लाठी, डंडा, बांस से प्रहार करने का आरोप है तथा सूचक के बेटा पप्पु मंडल के सिर पर तीन जख्म पाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि सूचक के सिर पर अभियुक्त द्वारा बार–बार प्रहार किया गया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के द्वारा किये गये कृत्य एवं जख्मी पप्पु मंडल के सिर पर पाये गये जख्म को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, तदनुसार आवेदक मुन्ना उर्फ नरसिंह शर्मा द्वारा दाखिल जमानत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 26.03.2026 को न्यायहित में खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	13-04-2026
Date of Reserving order	13-04-2026
Date of uploading	
Uploaded by	

Web copy of Court, Katihar